न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 101/2017 दायरा दिनांक : 25.07.2017

उनवान

वीरेन्द्र सिंह आत्मज नाराण सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राजेन्द्र सिंह आत्मज शोदान सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटडा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सत्यनारायण सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.10.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 11/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया

और यह कथन किया कि ग्राम झीकड़िया, तहसील पचपहाड़ में आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित है । वीरेन्द्र सिंह नारायण सिंह का पुत्र है । नारायण सिंह उमरावसिंह आत्मज भवानीसिंह के गोद चला गया है व उमराव सिंह की सम्पूर्ण आराजी का उत्तराधिकारी है एवं प्रतिवादी नारायण का पुत्र होने से उसका हक हिस्सा अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति में है । वादी व प्रतिवादी आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही कुटुम्ब के हैं । वादी के पिता शोदान का सन् 1984 में स्वर्गवास हो गया । वादी उनके जीवनकाल में आराजी का हांकता जोतता व काश्त करता चला आ रहा है व उनके स्वर्गवास के बाद भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । प्रतिवादी के पिता नारायण सिंह का भी स्वर्गवास 14.05.2006 को हो गया । प्रतिवादी ने दो वर्ष के लिए आराजी ली थी । प्रतिवादी ताकतवर व्यक्ति है वह झगडा करन पर आमादा है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2017 को वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विवादित आराजी राजस्व लोक अदालत कैम्प गणेशपुरा में कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अपीलांट की तलबी में थी । अपीलांट को जवाबदेही व पक्षकारान की साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली दिनांक 12.06.2017 को कैम्प मोगरा में रखी गई दिनांक 19.06.2017 को कैम्प आंवली में रखी गई और दिनांक 21.06.2017 को कैम्प गणेशपुरा पर रखी गई । जबकि प्रकरण में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया और न ही कोई सहमति दी गई और प्रकरण में कोई तनकीयात भी कायम नहीं की गई तथा प्रकरण का निर्णय लोक

अदालत में कर दिया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सी पी सी की पालना नहीं की गई है । पत्रावली तलबी में लम्बित थी, बिना पक्षकारों की तलबी किये, बिना जवाबदेही का अवसर दिये लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लोक अदालत में दोनों प्रतिवादी उपस्थित थे । प्रतिवादी आराजी को अपनी बताते हैं, परन्तु उनके बाबत उनके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है । अवैधानिक दस्तावेज के आधार पर उन्हें कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी राजेन्द्र सिंह उपस्थित था और प्रतिवादी वीरेन्द्र अनुपस्थित थे । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दावा डिक्री किया है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा